

प्रेस नोट, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर, दिनांक – 01.03.2023

कूटरचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में सुधीर कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक कमलेश प्रताप सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर द्वारा हमराहीगण के सहयोग से मु0अ0सं0 060/2023 धारा 467,468,471,174,120 बी भादवि, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र स्व0 बट्टी प्रसाद निवासी रसूलपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मेली मददगार के सहयोग से फर्जी मोहर व फर्जी हस्ताक्षर तथा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्रति रुपण द्वारा छल कर असली के रूप में प्रयोग करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर धोखाधड़ी करते हुए सम्बन्धित लेखपाल राजस्व निरीक्षक के कूट रचित हस्ताक्षर स्वयं एवं सहयोगियों की मदद से तैयार कर माननीय न्यायालय के आदेश को न मानते हुए आर्थिक लाभ हेतु फर्जी जमानत दस्तावेज तैयार कर अपराधियों को जिला कारागार से रिहा करवाया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राजीव कुमार पुत्र स्व0 बट्टी प्रसाद निवासी रसूलपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 060/2023 धारा 419,420,467,468,471,174,120बी भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 सुधीर कुमार सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर
2. व30नि0 कमलेश प्रताप सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. का0 राजकुमार थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।